



श्री भवानी निकेतन स्वातकोतर महाविद्यालय

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध



विवरणिका
सत्र : 2026-27

हमारे संस्थापक
ले. ज. महाराजाधिराज सर, सवाई मानसिंह जी बहादुर द्वितीय
जी. सी. आई. ई. महाराज, जयपुर



महाराव शेखाजी सेतु, सीकर रोड, जयपुर - 302039

फोन : 0141-2233863, 9414520449, 9414623867, 9928463122

ईमेल : sbnboyscollege@gmail.com

वेबसाईट : www.sbnboyscollege.com

शुल्क
रु.200/-



हमारे संस्थापक
ले. ज. महाराजाधिराज सर, सवाई मानसिंह जी बहादुर द्वितीय
जी. सी. आई. ई. महाराज, जयपुर

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति

कार्यकारी परिषद्

2025



बांये से दायें

श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ उपाध्यक्ष, श्री दिलीप सिंह शेखावत कार्यकारिणी सदस्य, डॉ. अभय सिंह राठौड़ शिक्षा सलाहकार, श्री श्याम सिंह मण्डा कोषाध्यक्ष,
श्री नगेन्द्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष, श्री जालिम सिंह शेखावत कार्यकारिणी सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह शेखावत सचिव, श्री गुलाब सिंह मेड़तिया कार्यकारिणी सदस्य,
श्री सम्पत सिंह शेखावत कार्यकारिणी सदस्य, श्री जालिम सिंह हुडील संयुक्त सचिव

कार्यकारी परिषद्

क्र.सं.	नाम पदाधिकारी/सदस्य	पद	दूरभाष नम्बर
1	श्रीमान् नगेन्द्र सिंह राठौड़	अध्यक्ष	9460726858
2	श्रीमान् महेन्द्र सिंह राठौड़	उपाध्यक्ष	9414324014
3	श्रीमान् सुदर्शन सिंह शेखावत	सचिव	9461519572
4	श्रीमान् जालिम सिंह हुडील	संयुक्त सचिव	9829348404
5	डॉ. अभय सिंह राठौड़	शिक्षा सलाहकार	9413279323
6	श्रीमान् श्याम सिंह मण्डा	कोषाध्यक्ष	9829430949
7	श्रीमान् जालिम सिंह शेखावत	कार्यकारिणी सदस्य	0141-2340156
8	श्रीमान् दिलीप सिंह शेखावत	कार्यकारिणी सदस्य	9413342527
9	श्रीमान् गुलाब सिंह मेड़तिया	कार्यकारिणी सदस्य	9351511692
10	श्रीमान् सम्पत सिंह शेखावत	कार्यकारिणी सदस्य	9314833890

सहवरित सदस्य

11	श्रीमती चेतना शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य	9460046290
12	श्रीमती सुधा कास्ट	अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य	9929577732
13	श्रीमती शिखा गुर्जर	पूर्व छात्र प्रतिनिधि सदस्य	8107309264
14	डॉ० अर्चना अग्रवाल	संस्था प्रधान प्रतिनिधि सदस्य	9460932932
15	श्रीमती नीलम	सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य	9929577731



संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयपुर शहर के पश्चिम क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की वैश्विक जरूरतें उनकी ज्ञान पिपासा, उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। यह महाविद्यालय मिशन के रूप में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति का विकास करता है एवं सभी को निष्पक्ष समान अवसर प्रदान करते हुये अपने व्यक्तित्व के निर्माण के अवसर प्रदान करता है। महाविद्यालय छात्रों के व्यक्तित्व विकास, आधुनिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाने, अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने, सामाजिक कल्याण, सामाजिक चेतना, भारतीय मूल्यों को सीखने का माहौल प्रदान करता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में संस्था के छात्रों का चयन प्रशंसनीय है। यह संस्था अध्ययन एवं अध्यापन की श्रेष्ठता का परिचायक है।

महाविद्यालय के इस प्रांगण में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियां यथा प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, विषय-विशेषज्ञों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के व्याख्यान, सेमीनार का आयोजन किया जाता है। यहाँ की एन.सी.सी. के छात्र-छात्राएं 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली परेड में हमेशा भाग लेते हैं व अनेक छात्र भारतीय सेनाओं में अधिकारी एवं सैनिक के पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। महाविद्यालय के अनेक छात्र पुलिस विभाग में अधिकारी एवं कॉन्स्टेबल के पदों पर कार्यरत हैं। एन.एस.एस. स्काउटिंग, शैक्षणिक भ्रमण, सामुदायिक सेवा आदि गतिविधियाँ उल्लेखनीय हैं, एवं विद्यार्थियों के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम हैं।

मुझे आशा है कि महाविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ अपने सपनों को साकार करेंगे एवं अनुभवी प्रवक्ताओं, विषय विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये संस्थान का नाम रोशन करेंगे और अपनी वैश्विक जरूरतों व जीविकोपार्जन में सफलता प्राप्त करते हुये खुशहाल जीवन-यापन करेंगे।



नगेन्द्र सिंह राठौड़
अध्यक्ष



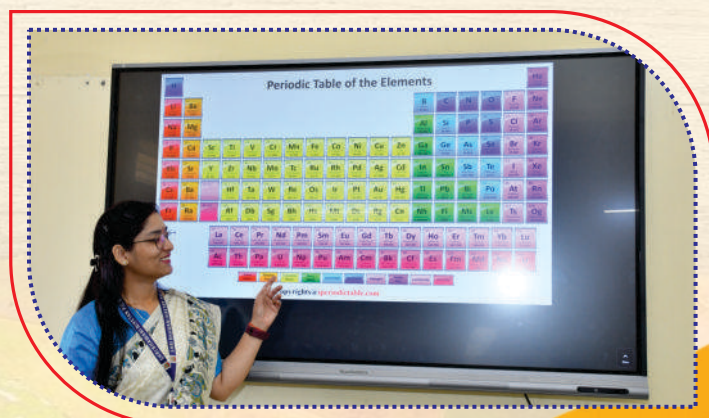
संदेश

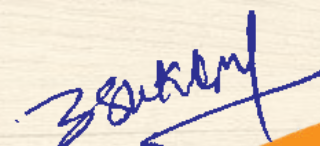
प्रिय अभिभावकगण एवं विद्यार्थीगण,

श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के भव्य प्रांगण में स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशार्थ पधारने पर आपका स्वागत है। इस परिसर के विकास हेतु जयपुर के पूर्व महाराजा स्व.ले.ज. महाराजाधिराज सर सवाई मानसिंह जी बहादुर द्वितीय जी.सी.आई.ई. ने सन् 1942 में 501 बीघा भूमि शिक्षा के प्रसार हेतु राजपूत समाज को प्रदान की।

शिक्षा की पावन ज्योति को पूर्व महाराजाधिराज ने सन् 1944 में बसंत पंचमी के सुअवसर पर एक आवासीय विद्यालय की स्थापना कर प्रज्ज्वलित किया। इस भूमि में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु राजपूत समाज ने श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति का गठन किया एवं श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। कालान्तर में समिति एवं ट्रस्ट के अथक प्रयासों से 12 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। यहाँ विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्ययन पूरा कर शिक्षक प्रशिक्षण, अभियान्त्रिकी एवं कानून की रोजगारोन्मुख शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। IGNOU द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्राप्त एन.सी.सी., एन.एस.एस. रोवर स्काउटिंग एवं खेल गतिविधियाँ संचालित होती हैं। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी, इन्डोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बालीबॉल, बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस, स्पोर्ट्स की सुविधाएँ उपलब्ध हैं एवं घुड़सवारी की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं आप सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रांगण में स्थित संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को अनुशासित वातावरण में प्रबुद्ध शिक्षकगणों द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जायेगा एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों की श्रेष्ठता के कारण विद्यार्थी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे।

सरस्वती के इन पावन मन्दिरों में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना हमारा ध्येय है। इस ध्येय की प्राप्ति हेतु हम सब को अनुशासन, गरिमामय व्यवहार, अध्ययन में नियमितता एवं एकाग्रता बनाये रखनी होगी। मुझे विश्वास है कि हमारी संस्थाओं के विद्यार्थी राष्ट्रीयता, नैतिकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण होकर श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे एवं कठोर परिश्रम, दूरदृष्टि, दृढ़विश्वास एवं अनुशासन से अपना पावन लक्ष्य प्राप्त करेंगे।




सुदर्शन सिंह सुरपुरा
सचिव



संदेश

प्रिय अभिभावकगण एवं विद्यार्थीगण,

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना जुलाई, 1997 में वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ हुई। वर्तमान में महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य तीनों संकाय संचालित हैं। कला संकाय में नवीन विषय शारीरिक शिक्षा प्रारम्भ किया जा चुका है। स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लेखा एवं सांख्यिकी, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र एवं प्राणीशास्त्र विषयों के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ फ्लैक द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधाएं भी श्री भवानी निकेतन परिसर में ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। महाविद्यालय की प्रयोगशालाएं उपकरणों से सुसज्जित हैं एवं पुस्तकालय में लगभग 18750 पुस्तकें उपलब्ध हैं। महाविद्यालय शेखा सर्किल स्थित बस स्टैंड एवं ढहर के बालाजी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। जिससे यह जयपुर शहर के पश्चिमी अंचल एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक है।

महाविद्यालय का विशाल, सुन्दर, हरितमयी प्रांगण अध्ययन एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ का परीक्षा परिणाम सदैव 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। महाविद्यालय की पाठ्येत्तर गतिविधियाँ यथा एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउटिंग एवं खेल गतिविधियों की राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। इस महाविद्यालय के विशाल खेल मैदान, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एवं सभागारों की सुविधाएं अन्य संस्थाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। महाविद्यालय में रोजगार सलाह केन्द्र कार्यरत है। जिसके माध्यम से कारपोरेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाये जाते हैं। महाविद्यालय में सत्र 2023-24 से बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. कोर्सेस प्रारंभ किये जा चुके हैं। इन गतिविधियों के फलस्वरूप यहाँ विद्यार्थियों को श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि आज इस महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र कॉरपोरेट सेक्टर, केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सेवाओं में अपना स्थान बना चुके हैं।

अतः आप इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर एवं विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर संस्था का नाम रोशन करें। हम आप से अनुशासित रह कर अध्ययन करने की अपेक्षा रखते हैं एवं आपकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सदैव तत्पर रहने का आश्वासन देते हैं।



M. Hapaat

डॉ. महेश हापावत
प्राचार्य

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सीकर रोड, जयपुर



महाविद्यालय प्रांगण में माननीय दिया कुमारी जी, उप-मुख्यमंत्री, राज. सरकार को जन्मदिवस की बधाई देते हुए पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए श्रीमान् नगेन्द्र सिंह जी बगड़, साथ ही सम्पत सिंह जी धमोरा, जालिम सिंह जी आसपुरा, राम सिंह जी चंदलाई, जालिम सिंह जी हुडील एवं महाविद्यालय परिवार



महाविद्यालय परिसर में माननीय दिया कुमारी जी, उप-मुख्यमंत्री, राज. सरकार को जन्मदिवस के सुअवसर पर केक काटते हुए साथ ही अध्यक्ष श्री नगेन्द्र सिंह जी बगड़, सचिव श्री सुदर्शन सिंह जी शेखावत, उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह जी जैसलाण, संयुक्त सचिव श्री जालिम सिंह जी हुडील एवं महाविद्यालय परिवार



महाविद्यालय प्रांगण में 26 जनवरी के भव्य समारोह के समारोह अध्यक्ष श्रीमान् राव राजेन्द्र सिंह जी, सचिव श्री सुदर्शन सिंह जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री समस्त सिंह जी धमोरा के साथ महाविद्यालय प्राचार्य एवं NCC कैंडेड्स



महाविद्यालय प्रांगण में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. राजीव जी जैन से चर्चा करते हुए श्री जालिम सिंह जी आसपुरा, प्राचार्य एवं व्याख्यातागण



एनसीसी कैंडेड्स के साथ प्राचार्य महोदय एवं एनसीसी के प्रमुख प्रभारी

College Faculty & Staff



महाविद्यालय प्राचार्य डॉ० महेश हापावत के साथ महाविद्यालय के प्रवक्तागण



महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय कला वर्ग के प्रवक्तागण



महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय विज्ञान वर्ग के प्रवक्तागण



महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय वाणिज्य वर्ग के प्रवक्तागण



महाविद्यालय प्राचार्य के साथ महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारीगण

NSS Activities in Mahavidyalaya



एनएसएस में स्वच्छता अभियान के लिए महाविद्यालय को प्रशंसा-पत्र व स्मृति चिन्ह



सात दिवसीय शिविर में डॉ. नरेन्द्र गुप्ता राज्य संपर्क अधिकारी का स्वागत



मतदान हेतु नए मतदाताओं का स्वागत और अभिनंदन



एनएसएस में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम



सात दिवसीय शिविर में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम



एनएसएस में भ्रमण कार्यक्रम नाहरगढ़ जैविक पार्क, जयपुर



नए मतदाताओं का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम



एनएसएस में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम



एनएसएस के विद्यार्थियों की यूनिटी मार्च कार्यक्रम में सहभागिता



एनएसएस में भ्रमण कार्यक्रम जल महल जयपुर



एनएसएस में गोद ली हुई बस्ती में प्राथमिकता विद्यालय में बच्चों को कॉपी रबबर पेंसिल का वितरण



एनएसएस में सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र



सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों की सहभागिता



सात दिवसीय शिविर में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम



एनएसएस के तहत जन चेतना रैली

स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या

स्नातक पाठ्यक्रम

क्र.सं.	संकाय	प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या
(1)	बी.ए. NEP	600
(2)	बी.कॉम. NEP	660
(3)	बी.एस.सी. (गणित वर्ग) NEP	480
(4)	बी.एस.सी. (जीव विज्ञान वर्ग) NEP	180

प्रोफेशनल पाठ्यक्रम

क्र.सं.	संकाय	प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या
(1)	बी.बी.ए. NEP	60
(2)	बी.सी.ए. NEP	120

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्र.सं.	संकाय	प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या
(1)	एम.ए. (राजनीति विज्ञान) NEP	40
(2)	एम.ए. (भूगोल) NEP	40
(3)	एम.ए. (इतिहास) NEP	40
(4)	एम.कॉम (ए.बी.एस.टी.) NEP	40
(5)	एम.एससी. (रसायन शास्त्र) NEP	40
(6)	एम.एससी. (वनस्पति शास्त्र) NEP	40
(7)	एम.एससी. (प्राणी शास्त्र) NEP	40
(8)	एम.एससी. (भौतिक शास्त्र) NEP	40
(9)	एम.एससी. (गणित) NEP	40

पाठ्यक्रम विषय

क्र.सं.	संकाय	विषय
(1)	बी.ए NEP	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, संस्कृत, अर्थ शास्त्र, भूगोल, शारीरिक शिक्षा
(2)	बी.कॉम NEP	ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम, व्यावसायिक प्रशासन
(3)	बी.एससी. (गणित वर्ग) NEP	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगोल
(4)	बी.एससी. (जीव विज्ञान वर्ग) NEP	रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल

प्रार्थना

श्री भवानी निकेतन

श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।
मिलती यहाँ अधुना शिक्षा।
नव विज्ञान की, सद ज्ञान की शिक्षा।।
सद ज्ञान ही परम धैय है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

जन कल्याण की रीत पुरातन।
यही सिखाते ज्ञानी गुरु जन।।
जन गण हित ही उच्च लक्ष्य है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

लोक हितेषी, सेवा शिक्षा।
राष्ट्र, सुरक्षा प्रथम है यह दीक्षा।।
छात्र उन्नति परम धैय है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

अक्षय ज्ञान का यह है सागर।
जितना चाहो भरलो गागर।।
सद शिक्षा ही परम धैय है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

होता यहाँ नित प्रवाह ज्ञान का।
छात्र बने प्रकाश दीप का।।
संचालक गण का सोच यही है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

अद्भुत नूतन यह ज्ञान सरोवर।
हरीतमा युक्त परिसर सारा।।
अद्भुत नूतन यह ज्ञान पीठ है।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

शिक्षा सदन बने हैं अति सुन्दर।
मन मोहक स्वास्थ्य धरोहर।।
हरित दुर्वा युक्त क्रीडागन अति न्यारे।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

इसमें भरे हैं ज्ञान के मोती।
मानव हित है लक्ष्य सभी का।
आओ सब मिलकर गाये।
श्री भवानी निकेतन हमको प्रिय है।।

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राष्ट्र के हित में शिक्षा, मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण एवं उत्कृष्ट शिक्षा तथा युवाओं को समर्थ बनाने में योगदान देने वाली उच्च शिक्षा हेतु जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य के अनुरूप और राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रवेश नीति संचारित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :-

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर/पूर्वाह्न की कक्षाओं में ऑफ लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक तृतीय व पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।
2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।
3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत –
 - (i) सत्र 2026-27 से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जा रहे हैं।
 - (ii) सत्र 2024-25 से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।
 - (iii) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 (अ) के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने का प्रावधान है, ताकि उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।
 - (iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
 - (v) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।
 - (vi) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।
 - (vii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश का प्रावधान है।
 - (viii) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है।
 - (ix) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा बारहवीं के समकक्ष माना गया है।
 - (x) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए आचार्यों/सह/सहायक आचार्यों द्वारा बुक बैंक की स्थापना।
 - (xi) जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देय है।

द्वितीय भाग

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के नियम

तालिका 2.1

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

स्नातक तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम-2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय-45 प्रतिशत/समकक्ष CGPA वाणिज्य संकाय-45 प्रतिशत/समकक्ष CGPA विज्ञान संकाय-48 प्रतिशत/समकक्ष CGPA
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60 प्रतिशत/समकक्ष CGPA

प्रोफेशनल पाठ्यक्रम

अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत

(1)	बी.बी.ए. NEP	48
(2)	बी.सी.ए. NEP	48

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

नोट :- स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमानुसार होंगे।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु -

- (1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।
- (3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी 12 वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
- (4) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :-

- (i) ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष मान्य होंगे।
 - (ii) उक्त बिन्दुओं में वर्णित 12 वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।
- 2.1.1.** सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला/वाणिज्य	कला/वाणिज्य/विज्ञान/कृषि संकाय
विज्ञान - गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय - गणित समूह*
विज्ञान - जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव - विज्ञान समूह*

*अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- 2.1.2. कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।
- 2.1.3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।
- 2.1.4. जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

- 2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम/स्वीकृत सीटों के 25 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।
- (ii) समस्त महिला महाविद्यालय के समस्त विषयों में तथा सहशिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनेलॉजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाईल-डाईंग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।
- (iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल संबंधी प्रावधान विलोपित कर दिया गया है। (आयुक्तालय का आदेश क्रमांक एफ7(4)प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2024-03395 राजकाज नं. 8718491 दिनांक 08.07.2024)

2.4 संकाय/विषय में परस्पर परिवर्तन

- 2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय में संबद्ध वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।
- 2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। एक पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का दूसरे पाठ्यक्रम में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि बिन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से पूर्व पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम/स्वीकृत सीटों के 25 प्रतिशत से कम न हों।
- 2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/- रु. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।
- 2.4.5 संकाय/विषय में परिवर्तन सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही हो सकेगा।

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

- 2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.2 यदि बिन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12 वीं में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.3 बिन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- 2.5.4 बिन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देय होगा।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1 प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण—आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए./एम.कॉम. के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एससी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान संकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण।

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+3/4 (3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की) स्नातक परीक्षा से है।

- 3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
- 3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला प्रत्याशियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- 3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3.1.5 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।
- 3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।
(ब) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3.2 कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा

- 3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20/स्वीकृत सीटों का 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
- 3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय/संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।
- 3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनेलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।
- 3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.4 तक में न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।
- 3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित रहेगा।

3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जावेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित रहेगा।

3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहाँ 20 से कम है, वहाँ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा :-

- (i) **स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर :** अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा। भले ही ये परीक्षाएँ भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।
- (ii) **स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर :** सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (iii) **उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :**
 - (अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।
 - (ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु

- (i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।
- (ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।
- (iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।
- (iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर बिन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेगी।

3.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता क्रम में

- (i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।
- (iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रुपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा। किन्तु नवीन प्रवेशित विषय में शुल्क अधिक होने पर अन्तर राशि भी जमा करवानी होगी।

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है :-

- 5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- 5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- 5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
- 5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
- 5.1.6. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- 5.1.7. जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
- 5.1.8. जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- 5.1.9. जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली-गलौच करने का दोषी पाया गया हो।
- 5.1.10. यदि विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में लिप्त पाया जाता है।

नोट :- अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि-सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :-

- 5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर)।
- 5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पाँच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु, सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।
- 5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- 5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात् राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

- 5.3.1 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF – कॉमन एडमिशन फॉर्म) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

5.4 Not Promoted विद्यार्थियों का प्रवेश

- 5.4.1 Not Promoted नियमित विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त सीटों (Over & The Above) पर देय होगा।
- 5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी बिन्दु संख्या 5.3.1 में उल्लेखित स्थितियों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त सीटों (Over & The Above) पर एनईपी-2020 के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- 5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो उसको उसी कक्षा में पुनः प्रवेश/नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

- 5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे, यदि उन्होंने प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
- 5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश

इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक तृतीय व पंचम सेमेस्टर	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर नियम 6.1 की शर्तें लागू होगी।

5.7.2 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (I से IV सेमेस्टर) की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश देय नहीं है। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में नियमित एवं तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पंचम सेमेस्टर में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले को महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।

5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि –

- उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।
- महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हो।

5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध/प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध/तृतीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।

5.8.2 भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।

5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।

5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

5.8.5 स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीटें) रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (कैटेगरीवाइज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेंगे तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

5.10 मूल प्रमाण पत्र वापस लेने हेतु निर्देश

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण-पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण-पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.11 अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.12 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण-पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के अन्त में डिफाल्टर्स अभ्यर्थियों को प्रवेश केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में ही देय होगा।

5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- 5.15 किसी कारणवश बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरनेट / Digilocker की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
- 5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- 5.17 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाईवास (LTV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों/पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है। इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थाओं द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जावेगी।
- 5.18 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 5.19 पाकिस्तान में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के आधार पर भारतीय नागरिक/भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, किन्तु बिन्दु संख्या 5.17 में उल्लेखित छात्र प्रवेश के पात्र होंगे (यू.जी.सी. के परिपत्र दिनांक 22.04.2022)।
- 5.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व अनुमोदन के बिना चीनी जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) से ऑनलाईन माध्यम से संचालित किये गये पाठ्यक्रमों को आयोग एवं परिषद मान्यता नहीं देते हैं। ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की गयी डिग्री के आधार पर वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (यूजीसी के परिपत्र दिनांक 25.03.2022)।

5.20 सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

- प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर-रेंजर/खेल/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ/कला एवं संस्कृति/नशा मुक्ति प्रकोष्ठ आदि सह शैक्षणिक एवं सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/संकाय सदस्य/अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक तृतीय से षष्ठम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपर्युक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय-समय पर विभागीय वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर-रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4. खेल/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/उपभोक्ता क्लब/मानवाधिकार प्रकोष्ठ/कला एवं संस्कृति/नशा मुक्ति प्रकोष्ठ आदि गतिविधियाँ	संबंधित विश्वविद्यालय/आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देश :-

- राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22) वित्त/कर/10-98 दिनांक 9-3-10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39) जन/10/5099-5132 दिनांक 10-4-10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक छात्र की हर विषय में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। राज्य सरकार तथा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा उपस्थिति के संबंध में कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही गिनी जाएगी, चाहे छात्र ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो।

संकाय अथवा विषय परिवर्तन करने वाले छात्र इस संदर्भ में सतर्क रहें। प्रत्येक छात्र का दायित्व है कि वह हर माह के अन्त में संबंधित प्राध्यापक से अपनी उपस्थिति ज्ञात कर लें। उपस्थिति कम होने की दशा में उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा अथवा स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा।

प्रत्येक सत्रांश के अंत में अर्थात् दशहरा, दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा वार्षिक परीक्षा से पूर्व जिन छात्रों की उपस्थिति वांछित उपस्थिति से कम होगी, उनकी सूचना, सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी नियम

- 1) सभी संकायों की सभी वार्षिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।
- (2) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :-
 - (क) जिस परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो रहा है, उसके लिये उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक योग्यता पूरी कर ली है।
 - (ख) वह विश्वविद्यालय में नामांकित हो गया है।
 - (ग) उसकी उपस्थितियाँ विश्वविद्यालय के नियमानुसार पूरी हैं।
 - (घ) छात्र ने महाविद्यालय के प्रति सभी प्रकार की देयता का भुगतान करके बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र ले लिया है। छात्र का प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुकूल हो।

पुस्तकालय एवं वाचनालय के नियम

महाविद्यालय का पुस्तकालय एवं वाचनालय “महाविद्यालय की आत्मा है”। यह एक विशाल एवं सुन्दर प्रशाल में स्थित है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह है और प्रतिवर्ष नियमित रूप से नई पुस्तकें भी खरीदी जाती हैं। फलतः पुस्तकालय समृद्ध होता जा रहा है। इसमें 19000 से अधिक पठनीय पुस्तकें हैं।

प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह पुस्तकालय एवं वाचनालय का पूर्ण सदुपयोग करे एवं अपना समय इधर-उधर व्यर्थ नष्ट न करे।

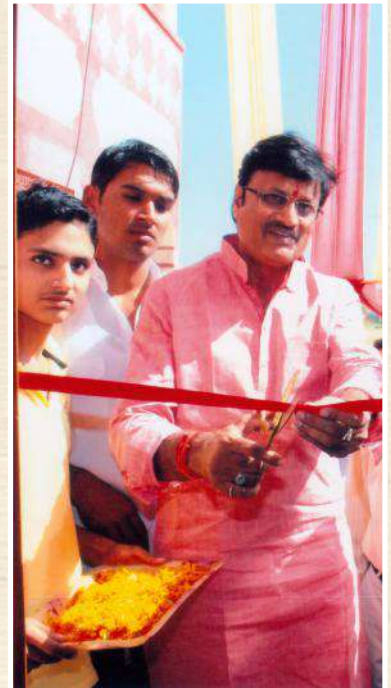
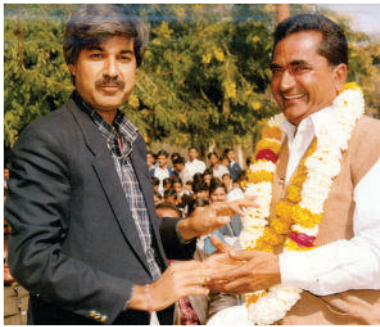
(क) छात्रों के लिए पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

- (1) पुस्तकालय प्रातः 8.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक खुला रहेगा।
- (2) प्रत्येक छात्र को प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र दिखाने पर पुस्तकालय से दो कार्ड मिलेंगे, जिन्हें पुस्तक निकलवाते समय पुस्तकालय में प्रस्तुत करना होगा। पुस्तक जितने दिन छात्र के पास रहेगी, कार्ड पुस्तकालय में रखा रहेगा और पुस्तक लौटाने पर कार्ड छात्र को लौटा दिया जायेगा।
- (3) एक छात्र एक बार में केवल दो पुस्तकें ही ले सकेगा।
- (4) एक छात्र एक बार में किसी पुस्तक को अधिकतम 15 दिन तक रख सकता है। यदि पुस्तक अन्तिम तारीख तक नहीं लौटाई गई तो 2 रुपया प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) विलम्ब शुल्क देना होगा।
- (5) पुस्तक एक बार देने के पश्चात् दूसरी बार ठीक आगामी अवधि के लिए तब ही दी जायेगी जबकि अन्य विद्यार्थी ने उक्त पुस्तक की मांग न की हो। यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगी और इसके समाप्त होने के पश्चात् तीसरी बार पुस्तक नहीं दी जायेगी।
- (6) पुस्तकालय की संदर्भ पुस्तकें किसी भी छात्र को घर के लिए नहीं दी जायेंगी।
- (7) पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय छात्र देख ले कि पुस्तक में पृष्ठ सही हैं। यदि पुस्तक की वापसी के समय पृष्ठ कम पाये गये तो इसका उत्तरदायित्व स्वयं उस छात्र का ही होगा। पुस्तक से पृष्ठ फाड़ना पुस्तक को मृत्यु प्रदान करना है। यह एक जघन्य अपराध है। दोषी छात्र को पुस्तक का पूरा दुगुना मूल्य अदा करना होगा तथा इसके अतिरिक्त उसे 100/- रु. के दण्ड से दण्डित भी किया जा सकता है। पुस्तक खोने पर पुस्तक की दुगुनी कीमत वसूल की जावेगी।
- (8) यदि पुस्तकालय कार्ड खो जाये तो पुस्तकालयाध्यक्ष के पास निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने व साथ में 100 रु. जमा कराने पर नया कार्ड दिया जा सकता है।
- (9) पुस्तकालय कार्ड पूर्णतः अहस्तांतरणीय होगा।
- (10) सत्र के समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक छात्र को सभी पुस्तकें, पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालयाध्यक्ष को लौटाकर बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसके बिना उसको परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा।
- (11) पुस्तकालय व वाचनालय संबंधी कोई भी कठिनाई होने पर छात्र पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

(ख) वाचनालय सम्बन्धी नियम

- (1) वाचनालय कक्ष में छात्रों द्वारा बात करना, शांति भंग करना या अन्य पाठकों के अध्ययन में विघ्न डालना वर्जित है। जो छात्र ऐसा करते पाये जायेंगे उनके प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- (2) छात्रों को पत्र-पत्रिकाएँ घर के लिए नहीं दी जायेंगी।
- (3) यदि छात्र पुस्तकालय या वाचनालय की किसी सम्पत्ति, पुस्तक व पत्र-पत्रिका को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाता पाया जाएगा तो उसे सख्त दण्ड दिया जाएगा। ऐसे अपराधी को उस वस्तु की, जिसे उसने क्षतिग्रस्त किया है दुगुनी कीमत देनी होगी तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार प्राचार्य उसे अन्य दण्ड भी दे सकते हैं।

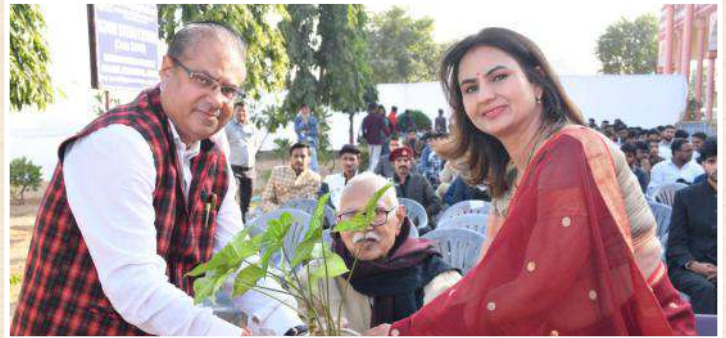
प्रारंभ से अब तक झलकियाँ



प्रारंभ से अब तक झलकियाँ



प्रारंभ से अब तक झलकियाँ



प्रारंभ से अब तक झलकियाँ



सामान्य नियम

- (1) किसी भी छात्र को अकारण कक्षा से अनुपस्थित रहने पर उसके अभिभावकों को सूचित किया जायेगा।
- (2) छात्रों को महाविद्यालय में अपनी साइकिलें, स्कूटर आदि नियत स्थान पर ही स्वयं की जिम्मेदारी पर रखने होंगे।
- (3) यदि किसी छात्र का व्यवहार महाविद्यालय के प्रांगण में या बाहर कहीं भी ऐसा हो, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को क्षति पहुँचे तो प्राचार्य को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस छात्र को उचित दण्ड दे सकें/निलम्बित कर सकें/निष्कासित कर सकें।
- (4) छात्रों द्वारा धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। महाविद्यालय प्रांगण में यदि कोई छात्र ऐसा करता पा गया तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है एवं एफ.आई.आर. भी लिखाई जा सकती है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्र का होगा।
- (5) छात्रों को हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में बैठने से पूर्व, सभी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेलकूद, लेखाशाखा आदि से 'अदेय प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा अन्यथा प्राचार्य उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।
- (6) छात्रों को प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि कार्यालय ऐसे किसी बहाने को मान्यता नहीं देगा कि छात्र ने सूचना पट्ट नहीं देखा था अथवा छात्र को किसी आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी या बीमारी के कारण लम्बे समय तक महाविद्यालय में नहीं आ पाया था।
- (7) महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को प्रतिवर्ष एक परिचय पत्र प्रवेश पत्र के साथ ही दिया जायेगा। परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है। उसका दुरुपयोग न हो, इसलिए परिचय पत्र सत्र में एक बार ही दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में 100/- रु. शुल्क जमा कराने तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही नया परिचय पत्र दिया जा सकेगा। यह सुविधा भी सत्र में केवल एक बार ही दी जायेगी।
- (8) छात्रों को प्राध्यापक वर्ग के प्रति उचित सम्मान तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। हर रोज प्रथम बार दिखने पर अभिवादन अवश्य करे।
- (9) महाविद्यालय के नियमित छात्रों को महाविद्यालय के प्रमाण पत्र पर रेल्वे या बस द्वारा रियायती टिकट दिये जाते हैं। रेल्वे या बस कन्सेशन दोनों ही केवल स्थायी पते के लिए मिलते हैं। रेल्वे कन्सेशन व बस कन्सेशन दशहरा, दीपावली, शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए ही दिया जा सकता है। रेल्वे कन्सेशन के लिए निर्धारित शुल्क 5/- रु. जमा कराना होगा। अतः प्रत्येक छात्र को जो इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक है, प्रवेश आवेदन पत्र में अपने स्थायी निवास स्थान का नाम ठीक लिखना चाहिये। आवेदन पत्र में लिखे स्थायी निवास स्थान में सामान्यतया कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यात्रा करते समय प्रत्येक छात्र को अपने साथ महाविद्यालय का परिचय पत्र रखना चाहिये। रेल्वे या बस कन्सेशन के लिए एक निश्चित आवेदन पत्र लगभग एक सप्ताह पूर्व भरना होगा।
- (10) चरित्र प्रमाण पत्र वर्ष में अधिक से अधिक दो बार दिया जा सकता है। एक प्रमाणपत्र का शुल्क 100/- रु. होगा। कोई भी छात्र महाविद्यालय से मुद्रित चरित्र प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य रूप से प्रमाणपत्र चाहता है तो वह आवेदन करने व 100/- रु. का शुल्क जमा कराने पर ही दिया जा सकेगा।
- (11) प्रवेश उपरान्त प्रत्येक छात्र महाविद्यालय का अभिन्न अंग बन जाता है। अतः उसे महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचे।
- (12) इन नियमों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है।
- (13) प्राचार्य द्वारा इन नियमों की व्याख्या एवं छात्रों से संबंधित शैक्षणिक निर्णय अन्तिम होंगे।
- (14) **प्रवेश शुल्क या अन्य शुल्क एक बार जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जावेगा/समायोजित नहीं होगा।**
- (15) एन.सी.सी./रोवर-स्काउटिंग/राष्ट्रीय सेवा योजना/खेलकूद के शिविरों/प्रवृत्तियों एवम् प्रमाण पत्रों की परीक्षाओं तथा उनके परिणाम हेतु प्रत्येक छात्र को सदैव सतर्क रहना वांछित है।
- (16) रैगिंग एक जघन्य उपराध है उस पर कानूनी कार्यवाही करना महाविद्यालय का उत्तरदायित्व है। अतः कोई भी छात्र रैगिंग की दुष्प्रवृत्ति के समीप भी नहीं जावे। राष्ट्रीय/राज्य/उच्च न्यायालय स्तर पर इसे कानूनी अपराध घोषित किया हुआ है।
- (17) महाविद्यालय में मोबाइल लाना कानूनी अपराध है। महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाने पर 100/- दण्ड देय होगा/मोबाइल जब्त होगा।
- (18) नवीन कानून के अनुसार महाविद्यालय या उसके आसपास धूम्रपान करना धूम्रपान के लिए प्रोत्साहित करना तम्बाकू का सेवन करना कानूनी अपराध है।
- (19) छात्रों को महाविद्यालय परिसर में नारे लगाने प्रशासन के विरुद्ध मिटिंग करने पर पुलिस कार्यवाही अपेक्षित है।
- (20) कॉलेज कार्य में बाधा पहुँचाना कानूनी अपराध है।

महाविद्यालय/शिक्षा समिति द्वारा सहायता

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा का सामुहिक जीवन सुरक्षा बीमा कराया जायेगा जिसका प्रिमियम संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। छात्र के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कम्पनी से सहायता प्राप्त होती है।
2. कम्प्यूटर शिक्षा-कम्प्यूटर शिक्षण के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा इसका समस्त खर्चा संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. **छात्रवृत्ति**: प्रतिभावान छात्रों को संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसी प्रकार खेल प्रतिभाओं के लिए भी छात्रवृत्ति दी जायेगी। अति गरीब और विकलांगों को भी छात्रवृत्ति दी जायेगी। उपर्युक्त छात्रवृत्तियाँ उस छात्र को देय नहीं होगी जो अन्य किसी संस्था/निकाय/विभाग/समाज से छात्रवृत्ति ले रहा होगा।
4. 90 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्र को महाविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा।

अन्य

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क 100/- रुपये।
2. चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क 100/- रुपये।
3. परिचय पत्र गुम हो जाने पर शुल्क - 100/- रुपये (शपथ पत्र अलग से देना होगा)
4. राज्य सरकार के आदेशानुसार स्काउट गाइड शुल्क - 10/- रुपये प्रवेश के समय अलग से देय होगा।

STAFF LIST (2026-27)

S.No.	Name of Lecturer	Qualification	Subject	Mobile No.
1.	Dr. Mahesh Haphawat (Principal)	M.Com., Ph.D., NET	Bus. Adm.	9414456160
2.	Dr. Kuldeep Singh	M.A., Ph.D, NET, SET	Geog.	9887064121
3.	Dr. Dasharath Singh Shekhawat	M.A., NET, Ph.D	Geog.	9414556082
4.	Sh. Mukesh Singh	M.A., M.Phil, NET	Geog.	9784657099
5.	Sh. Indrajeet Ratawal	M.A., M.Phil, NET, SET, JRF	Geog.	9785080080
6.	Sh. Bhawani Singh Khichi	M.A., NET	Geog.	9782788426, 7014947143
7.	Ms. Priyanka Choudhary	M.A., NET	Geog.	7014938280
8.	Dr. Shahid Ahmed	M.A., M.Phil, NET, Ph.D	History	9414623867
9.	Sh. Rahis Khan	M.A., NET,	History	9694016985
10.	Dr. Narendra Singh	M.A., M.Phil, Ph.D, SLET	Pol. Sc.	9460134984
11.	Dr. Jagat Singh	Ph.D., NET, SET	Pol. Sc.	9413969943
12.	Dr. Anoop Ratanawat	M.A., Ph.D.	Pol. Sc.	6350267945
13.	Sh. Mukesh Kumar Lakhiwal	M.A., NET	Pub. Adm.	9530382531
14.	Ms. Nirmal Kumari	M.A.	Econ.	8769815784
15.	Dr. Yogendra Singh	M.A., M.Phil, Ph.D, NET	Soci.	9413616070
16.	Sh. Tek Chand Bakolia	M.A., NET, SLET,	Soci.	9887229232
17.	Dr. Mukta Sharma	M.A., Ph.D,	Hindi Lit.	9460528756, 9461812939
18.	Smt. Pinkesh Mertiya	M.A., NET	Hindi Lit.	9413156532
19.	Smt. Sonu Panwar	M.A., M.Phil	English	9783157745
20.	Dr. Shiv Singh Solanki	M.A., Ph.D	English	9829460925, 9784288395
21.	Dr. Manjeet Singh Shekhawat	M.Sc., SET, Ph.D	Botany	9414520449, 6350160077
22.	Dr. Rachana Shrivastav	M.Sc., Ph.D	Botany	9649122123
23.	Ms. Rajkumari Sharma	M.Sc., NET	Botany	7690058192
24.	Dr. Lalita Mishra	M.Sc., Ph.D	Botany	9413624383
25.	Dr. Vishasta Joshi	M.Sc., Ph.D	Zoology	9828383122, 8233404517
26.	Dr. Harkesh Rathore	M.Sc., Ph.D	Zoology	9024266876
27.	Dr. Priya Gupta	M.Sc., Ph.D	Zoology	7733850970
28.	Ms. Himani Charan	M.Sc., NET, JRF	Zoology	7597650453, 9024700914
29.	Dr. Raj Kumar Sharma	M.Sc., NET, SLET, Ph.D	Chemistry	9414594007, 6376928903
30.	Dr. Nirupama Jadoon	M.Sc., Ph.D.	Chemistry	9602607304, 7976701274
31.	Dr. Monika Sharma	M.Sc., Ph.D.	Chemistry	9214939896, 9828161499
32.	Dr. Bhavna Walia	M.Sc., M.Phil, Ph.D.	Chemistry	9782398689
33.	Sh. Prakash Raja	M.Sc., NET, JRF, SET	Chemistry	9024564384
34.	Dr. Vijay Kumar Shukla	M.Sc., Ph.D	Physics	7014826399
35.	Sh. Lekhraj Prajapat	M.Sc., NET	Physics	9529630306, 9610258802
36.	Sh. Ghanshyam Yadav	M.Sc., NET	Physics	9929909043
37.	Sh. Ashish Kumar Kumawat	M.Sc.	Physics	6375615124
38.	Dr. Prakash Chand Goyal	M.Sc., Ph.D	Maths	9928823779
39.	Sh. Kripal Singh Tanwar	M.Sc.	Maths	6377267401
40.	Ms. Shakuntla Yadav	M.Sc.	Maths	9257519202
41.	Dr. Virendra Goyal	M.Com, M.Phil, Ph.D	Bus. Adm.	9950752879
42.	Sh. Suraj Pal Singh Solanki	M.Com, M.Phil	Bus. Adm.	9929720092
43.	Sh. Sanjay Kumar Chhipa	M.Com, M.Phil, NET	EAFM	9928463122
44.	Dr. Archana Choudhary	M.Com, M.Phil, SET, Ph.D	EAFM	9460134740

STAFF LIST (2026-27)

S.No.	Name of Lecturer	Qualification	Subject	Mobile No.
45.	Dr. Neelam Shekhawat	M.Com, Ph.D	ABST	8094462153
46.	Sh. Niraj Kumawat	M.Com, NET	ABST	9660378788
47.	Maj. V. S. Rathore	M.Com, M.PEd, M.Phil	D.P.E (N.C.C.Off.)	9784460955, 9314637715
48.	Sh. Vikram Singh Shekhawat	B.A., B.PEd, M.PEd	DPE (NCC Officer)	9024992438
49.	Smt. Kailash Shekhawat	M.A., M. Phil	NCC Girls Instru.	7597647339
50.	Ms. Mahima Kanwar	MCA	Computer	7690849875
51.	Ms. Divyeshwari Chauhan	MCA	Computer	9460702809
52.	Ms. Tripti Vijayvargiya	MCA	Computer	9212202579
53.	Sh. Bhuawan Bhatnagar	MCA	Computer	9530386889
54.	Sh. Shailesh Sharma	MBA Finance, M.Com., PGDCA	Accountant	8560840805
55.	Sh. Pradhuman Singh Shekhawat	M.Com. (B.Adm.), DCA	Clerk	8003513099
56.	Sh. Viraj Singh	B.A.	Clerk	9694093488
57.	Sh. Mannu Bundel	B.Com., M.Com., Diploma in ME	Clerk	9983416897
58.	Sh. Rajendra Singh Nathawat	B.A., Comp. Diploma, I.T.I., RS-CIT	Clerk	9928851775
59.	Sh. Mukesh Singh Shekhawat	B.A.	Clerk	8824537116
60.	Ms. Shalini Shekhawat	B.A.	Counselor	8949964046
61.	Sh. Shakti Singh	M.Sc.	Lab Assit.	9636777267
62.	Sh. Tulsi Saini	B.Sc., M.Sc.	Lab Assit.	7740997450
63.	Sh. Chandan Lakhiwal	B.Sc.	Lab Assit.	8386981499
64.	Ms. Promila Tanwar	M.A.	Lab Assit.	9001286958
65.	Sh. Gyarsi Lal	ITI	Lab Assit.	9928830488
66.	Sh. Vikram Singh Rathore	B.Sc.	Lab Assitt.	9982012699
67.	Smt. Raj Kanwar	(M.A.), B.Lib., M.Lib	Librarian	7023570058
68.	Smt. Heeramani Dadhich	B.A., B.Lib., M.Lib.	Librarian	9785879794
69.	Smt. Sunita Kanwar	B.A.	Book Lifter	7976012211
70.	Sh. Rajendra Singh Parihar		Civil Supervisor	9001406301, 9166206831
71.	Smt. Kamod Kanwar		Fourth Class	9983084101
72.	Sh. Budh Singh		Fourth Class	7742171985
73.	Sh. Kan Singh		Fourth Class	9660325038
74.	Smt. Rajesh Kanwar		Fourth Class	7733824358
75.	Smt. Naim Kanwar		Fourth Class	9660424643
76.	Smt. Chandan Kanwar		Fourth Class	9983219631
77.	Sh. Pinka Ram		Fourth Class	
78.	Smt. Manju Gurjar		Fourth Class	
79.	Smt. Manju Kanwar		Fourth Class	9983219631
80.	Sh. Ravindra Singh Jodha		Chokidar	9829953222
81.	Sh. Gajendra Singh		Chokidar	9929919119
82.	Sh. Mahendra Kumar		Chokidar	
83.	Sh. Banwari Lal		Gardner	9784034156
84.	Smt. Santosh		Sweeper	7568585238
85.	Ms. Deepa		Sweeper	8854911641
86.	Ms. Beena		Sweeper	9571081965
87.	Ms. Malti Devi		Sweeper	8619068522

महाविद्यालय में पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

राष्ट्रीय कैंडेट कोर : महाविद्यालय में एन.सी.सी. आर्मी विंग इकाई की दो प्लाटून नियमित रूप से कार्यरत हैं। इसमें पहली प्लाटून SFS में 54 कैंडेट्स हैं, जिसके अधिकारी मेंजर वीरेंद्र सिंह राठौड़ तथा दूसरी कंपनी जिसमें 140 कैंडेट्स हैं, जिसके अधिकारी लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह शेखावत और कैलाश कंवर हैं। इन दोनों इकाइयों में 40% गर्ल्स कैंडेट्स की सीटें हैं। इसके अतिरिक्त आर्मेड स्क्वाड्रन, एयरविंग एवं नेवल विंग में खुली भर्ती में लगभग 70 कैंडेट्स का चयन होता है। प्रवेश प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शारीरिक परीक्षा की योग्यता के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश के समय ही अलग से निश्चित प्रार्थना पत्र भरकर एन.सी.सी. अधिकारी को देने पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एन.सी.सी. का उद्देश्य “एकता एवं अनुशासन” है। एन.सी.सी. के चार स्तर के शिविर यथा— बटालियन, ग्रुप अथवा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविर होते हैं। जिनमें क्रमशः वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, राज्य स्तरीय आर डी शिविर और रिपब्लिक— डे शिविर, एडवेंचर शिविर, नियमित सेना के साथ शिविर आदि महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी को ‘बी’ एवं ‘सी’ प्रमाण पत्र परीक्षा में सफल होने पर देय है। ‘सी’ प्रमाण पत्र पाने पर कैंडेट आर्मी में सीधी भर्ती हेतु योग्य पात्र बन जाता है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स आदि में भी ‘सी’ प्रमाण पत्र योग्यता धारी को वारीयता दी जाती है। एन.सी.सी. के कैंडेट्स का अब वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में रोजगार हेतु प्लेसमेंट भी होता है। इसके लिए ‘वेदांता ग्रुप’ ने अपनी सहमति दी है। एन.सी.सी. में देश/विदेश भ्रमण का अवसर प्राप्त होता है। पैराजंपिंग, लीडरशिप, माउंट ट्रेनिंग कोर्स के साथ-साथ ALC, BLC, EBSB, NIC, YEP कैंप में भाग लेते हैं। श्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट को भारत सरकार एवं अन्य संगठनों द्वारा छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पांच से आठ कैंडेट्स हर साल आर डी परेड में भाग लेते हैं।

रोवर-स्काउटिंग : स्काउटिंग “सुनागरिकता” की ओर एक आदर्श क्रियान्विति है। स्काउटिंग के माध्यम से छात्र का चरित्र, कला-कौशल, नेतृत्व शक्ति एवं सेवाभाव प्रगाढ़ता को प्राप्त होते हैं। छात्र में प्रेम, सद्व्यवहार और सर्वधर्म समभाव की भावना उत्पन्न करता है। स्काउट में निपुण एवं राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति रोवर अवार्ड जैसे प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं। स्काउट का उद्देश्य सेवा भाव है। स्काउट में अनेक गतिविधियाँ की जाती हैं : जैसे — गर्मीयों में पक्षियों हेतु परिदों में पानी भरना, स्टेशनों पर यात्रियों को पानी उपलब्ध करवाना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए अनेक रेलियों का आयोजन करना, जैसी अनेक गतिविधियों का आयोजन करना होता है। महाविद्यालय के क्रू के पूर्व रोवर लीडर डॉ. एम. एल. शर्मा (पूर्व प्राचार्य) को 23 सितम्बर 2009 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में “Silver Star” राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किया जो कि एक कीर्तिमान है। इसी प्रकार महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी महोदय ने उपराष्ट्रपति भवन में 2.9.2011 को उपराष्ट्रपति अवार्ड सीनियर रोवर रवि शर्मा को प्रदान किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना : भारत सरकार, युवा एवं खेल मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना जयपुर के तहत महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो ईकाईयाँ संचालित है जिसमें प्रति सत्र 100-100 छात्र-छात्राओं को दो वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रति सत्र 120 घंटे सेवा कार्य करते हुये कुल 240 घंटे सेवा कार्य करना होता है। पंजीकृत स्वयंसेवकों को प्रति सत्र तीन एकदिवसीय शिविर व कोई एक सत्र में एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता शिविर, एडवेंचर शिविर, प्री आर डी कैम्प तथा आर डी कैम्प में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। उपरोक्त सभी गतिविधियों व शिविरों के प्रमाण-पत्र स्वयंसेवकों को प्रदान किये जाते हैं जिनसे स्वयंसेवकों को एक से चार अंकों का अतिरिक्त लाभ मिलता है।

खेल-कूद के तहत संचालित कार्यक्रमों का विवरण सत्र 2025-26

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तरमहाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में सत्र 2025-26 में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने निम्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया :-

1. **तैराकी प्रतियोगिता - 09.09.25 से 10.09.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय तैराकी प्रतियोगिता दिनांक 09.09.25 से 10.09.25 तक आयोजित हुई। उसमें महाविद्यालय के छात्र मान सिंह शेखावत ने Bronze (कांस्य) पदक प्राप्त किया।
2. **तीरंदाजी (Archery) - 15.09.25 से 16.09.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय तीरंदाजी (Archery) प्रतियोगिता दिनांक 15.09.25 से 16.09.25 तक राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में आयोजित हुई इसमें राधिका और हर्षित ने भाग लिया।
3. **कबड्डी - 15.09.25 से 17.09.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय कबड्डी (Kabaddi) प्रतियोगिता दिनांक 15.09.25 से 17.09.25 तक पारीक कॉलेज में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय की टीम उपविजेता रही तथा छात्र नीरज सिंह, नवीन जाखड़ का पश्चिम क्षेत्र अन्तरविश्वविद्यालय में चयन हुआ।
4. **नेटबॉल (Netball) - 18.09.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय नेटबॉल (Netball) प्रतियोगिता दिनांक 18.09.25 को राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय छात्रा रितिका राठौड़ का अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालय के लिए चयन हुआ।
5. **कबड्डी (Women) - 19.09.25 से 20.09.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय कबड्डी (Women) प्रतियोगिता दिनांक 19.09.25 से 20.09.25 तक बियानी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कालवाड़ में आयोजित हुई।
6. **राइफल/पिस्टल (Rifle/Pistol) - 25.09.25 से 29.09.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय राइफल/पिस्टल (Rifle/Pistol) प्रतियोगिता दिनांक 25.09.25 से 29.09.25 तक Bulsai Shooting Range में आयोजित करवाई। उसमें महाविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। छात्र सुरेन्द्र सिंह राठौड़ का अन्तरविश्वविद्यालय के लिए चयन हुआ।
7. **जुडो (Judo) - 04.10.25 से 04.10.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय जुडो (Judo) प्रतियोगिता दिनांक 04.10.25 से 04.10.25 तक एल.बी.एस. कॉलेज में आयोजित हुई उसमें रेणु कुमावत ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
8. **वॉलीबॉल (Volleyball) - 09.10.25 से 11.10.25 :** राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय वॉलीबॉल (Volleyball) प्रतियोगिता दिनांक 09.10.25 से 11.10.25 तक बालाजी कॉलेज में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय की टीम विजेता रही तथा सात छात्रों का पश्चिम क्षेत्र अन्तर खेल प्रतियोगिता में चयन हुआ। लक्की यादव, निकेतन, हर्ष तिनकर, प्रशांत, रितिक यादव, नितेश्व किरन।

9. **क्रिकेट (Cricket)** - 06.11.25 से 07.11.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय क्रिकेट (Cricket) प्रतियोगिता दिनांक 06.11.25 से 07.11.25 तक राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय की टीम ने भाग लिया।
10. **बैडमिन्टन (Badminton)** - 10.11.25 से 12.11.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय बैडमिन्टन (Badminton) प्रतियोगिता दिनांक 10.11.25 से 12.11.25 तक राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय की टीम सेमी फाइनल तक पहुँची व छात्र कपील शर्मा का चयन पश्चिम क्षेत्र अन्तरविश्वविद्यालय में हुआ।
11. **शरीर सौष्टव (Best Physique)** - 13.11.25 से 14.11.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय शरीर सौष्टव (Best Physique) प्रतियोगिता दिनांक 13.11.25 से 14.11.25 तक एल.बी.एस. कॉलेज में आयोजित हुई उसमें सचिन मीणा ने (Gold Medal), अंकित ने (Silver Medal) व सर्वजीत ने (Silver Medal) जीता।
12. **बॉक्सिंग (Boxing)** - 14.11.25 से 15.11.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय बॉक्सिंग (Boxing) प्रतियोगिता दिनांक 14.11.25 से 15.11.25 तक परिष्कार कॉलेज में आयोजित हुई उसमें महाविद्यालय के महिला और पुरुषों दोनों ने भाग लिया व निम्न छात्रों ने पदक प्राप्त किये : महिला वर्ग - मनिषा वोम (रजत पदक), सुचिता राणा (कांस्य पदक) एवं पुरुष वर्ग - कर्मवीर सिंह राठौड़ (स्वर्ण पदक), यश शेखावत (कांस्य पदक), हर्षवर्धन (कांस्य पदक), दीपक (कांस्य पदक)।
13. **फुटबॉल (Football)** - 06.12.25 से 08.12.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय फुटबॉल (Football) प्रतियोगिता दिनांक 06.12.25 से 08.12.25 तक वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित हुई व महाविद्यालय के छात्र आदित्य सिंह शेखावत का पश्चिम क्षेत्र फुटबॉल टीम हेतु चयन हुआ।
14. **खो-खो (Kho-Kho)** - 09.12.25 से 10.12.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय खो-खो (Kho-Kho) प्रतियोगिता दिनांक 09.12.25 से 10.12.25 तक राजकीय महाविद्यालय, सांभर में हुई तथा टीम सेमी फाइनल तक पहुँची व छात्र हिमांशु एवं अंकित का चयन पश्चिम क्षेत्र हेतु हुआ।
15. **एथलेटिक्स (Athletics)** - 16.12.25 से 19.12.25 : राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अन्तरमहाविद्यालय एथलेटिक्स (Athletics) प्रतियोगिता दिनांक 16.12.25 से 19.12.25 तक राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में आयोजित हुई, इसमें परिणाम निम्न प्रकार है :- (1) 100 x 4 रिले - स्वर्ण पदक (2) 400 x 4 रिले - रजत पदक (3) 100 मीटर (4) 200 मीटर (5) 400 मीटर।
16. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निम्न लिखित प्रतियोगिताओं में छात्रों ने भाग लिया तथा आल इण्डिया अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया : (1) रग्बी - मानवेन्द्र सिंह शेखावत (2) साइकिलिंग - राघवेन्द्र सिंह कुमावत (3) खो-खो योगा - विनय कुमार सिंह (4) तायक्वोंडो - आर्यन यादव (5) सॉफ्ट बॉल - विजय प्रजापत, गौतम वर्मा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS 2025-26)

- सत्र 2025-26 में जुलाई-अगस्त माह के दौरान महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाईयों के तहत 200 विद्यार्थियों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण किया गया।
- दिनांक 21 जुलाई 2025 को महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- दिनांक 7 अगस्त 2025 को महाविद्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा के तहत 'सुसमा' कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी स्वयंसेवकों को उनकी बहनों के नाम से ISI मार्का हेलमेट वितरित किये गये।
- दिनांक 17 सितम्बर 2025 को महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाईयों तथा अखिल भारतीय तेरापन्थ युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया जिसके फलस्वरूप शिविर में 50 यूनिट रक्त संकलित हुआ।
- दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को महाविद्यालय में गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर के उपलक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया जिसमें गांधीजी के जीवन से शिक्षा लेने हेतु प्रेरित किया तथा बाद में सभी स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई की।
- दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को महाविद्यालय में एन.एस.एस. इकाईयों के स्वयंसेवकों ने राज्य सरकार द्वारा गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक यूनिटी मार्च कार्यक्रम में भाग लेकर एकता व फीटनेस का सन्देश दिया।
- दिनांक 17 नवम्बर 2025 को राज्य सरकार द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव आयोजित हुआ जिसमें महाविद्यालय के एन.एस.एस. स्वयंसेवकों ने सहभागिता देते हुये खेलों के महत्व को दर्शाया।
- दिनांक 1 दिसम्बर 2025 को महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस मनाया गया जिसमें विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को एड्स सम्बन्धी पूर्ण जानकारी दी गई व एड्स सम्बन्धी सकारात्मक जानकारी से लोगों में जागरूकता प्रसारित करते हेतु प्रेरित किया।
- दिनांक 9 दिसम्बर 2025 को महाविद्यालय में एन.एस.एस. की ईकाईयों द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया जिसमें विशेषज्ञों द्वारा स्वयंसेवकों को मानवाधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई।
- दिनांक 8 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक महाविद्यालय में भारतीय सेना द्वारा सेना दिवस के उपलक्ष में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें सभी विद्यार्थियों ने सहभागिता देते हुये सेना के सभी प्रकार के हथियारों की जानकारी प्राप्त की व प्रदर्शनी देखने वाले लोगों की सहायता भी की।
- दिनांक 8 मार्च 2026 को महाविद्यालय में एन.एस.एस. ईकाईयों द्वारा "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया गया जिसमें महिला सशक्तिकरण विषय पर व्याख्यान आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गई।
- दिनांक 28 मार्च 2026 को राजस्थान केन्द्र झालाना डूंगरी में 1DM (NGO) द्वारा वेस्ट सामग्री से ठमेज उपयोगी सामग्री बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा NGO - 1DM द्वारा महाविद्यालय को इस दिशा में सराहनीय कार्य करने पर प्रशंसा पत्र व मोमेन्टो प्रदान किया गया।

Shri Bhawani Niketan P.G. College

Maharao Shekhaji Flyover, Sikar Road, Jaipur - 302039

AFFIDAVIT BY THE STUDENT ON ANTI-RAGGING

- 1) I,
.....(full name of student with admission/registration/enrolment number)
S/o D/O Mr./Mrs./Ms. having
been admitted to **Shri Bhawani Niketan P.G. College**, Sikar Road, Jaipur, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case. I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly over and undertake that
 - a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I have been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this day of month of year.

Signature of deponent

Name :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of
(month) (year)

Signature of deponent

BOS Member



Dr Mahesh Hapawat



Dr Manjeet Singh Shekhawat
BOS Member, Botany
University of Rajasthan

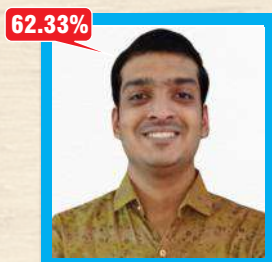


Dr Raj Kuamr Sharma
BOS Member, Chemistry
University of Rajasthan

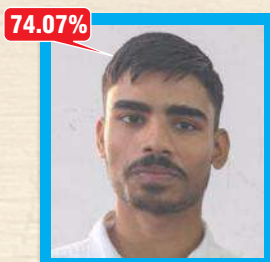


Dr Shahid Ahmed
BOS Member, History
University of Rajasthan

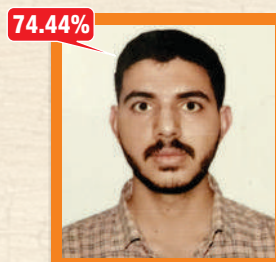
U.G. TOPPERS 2024-25



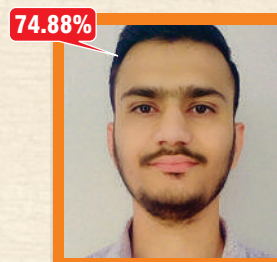
Vaibhav Choudhary
B.Com.



Aman Lakhiwal
B.Sc. (Biology)

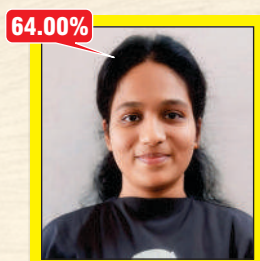


Uday Singh
B.A.

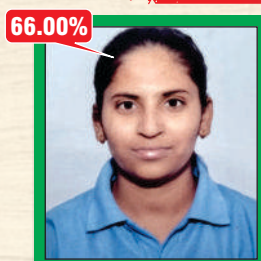


Dheeraj Yadav
B.Sc. (Maths)

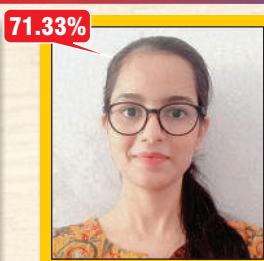
P.G. TOPPERS 2024-25



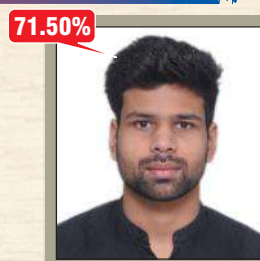
Muskan Daga
M.Com. (ABST)



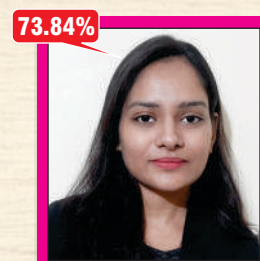
Komal Tanwar
M.A. (Pol. Sc.)



Simran Gouri
M.A. (History)



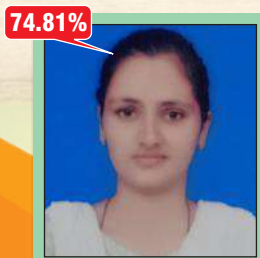
Neeraj Kumar
M.A. (Geography)



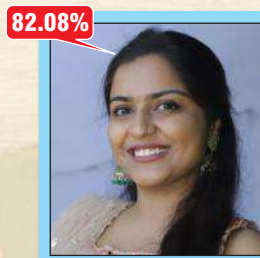
Navita Jain
M.Sc. (Chem.)



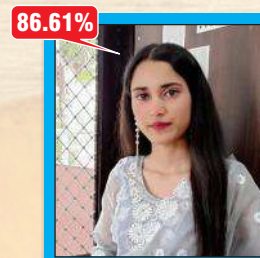
Garima Sharma
M.Sc. (Maths)



Nikita Jangir
M.Sc. (Zoology)



Himanshi Sharma
M.Sc. (Physics)



Shivani Kanwar
M.Sc. (Botany)

Cultural Activities



Sports



राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालय Football प्रतियोगिता दिनांक 07-08 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुई जिसमें प्रथम मैच में श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय ने 3-0 से महाराजा महाविद्यालय को हराया



राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन श्री बालाजी कॉलेज में दिनांक 9 अक्टूबर-11 अक्टूबर 2025 तक हुआ जिसमें श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय विजेता रही



राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन परिष्कार कॉलेज में दिनांक 14 नवंबर-15 नवंबर 2025 तक हुआ जिसमें श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय ने एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल व पाँच ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किये

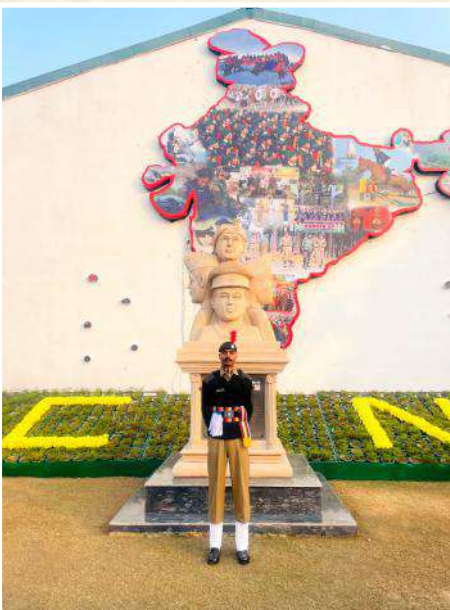


राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालय Best Physique प्रतियोगिता का आयोजित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में हुआ जिसमें : सचिव मीणा ने गोल्ड मेडल, अंकित ने सिल्वर व सर्वजीत ने सिल्वर मेडल जीता



राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पारीक पी जी महाविद्यालय में दिनांक 15 सितंबर-17 सितंबर 2025 तक हुआ जिसमें श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, टीम उपविजेता रही

NCC



Glimpses of Mahavidhayala



Activities



Seminar Hall



Science Library में अध्ययन करते हुए छात्र व छात्राएँ



Arts Library में अध्ययन करते हुए छात्र व छात्राएँ



महाविद्यालय में Botanical Garden



Labs



रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र



वनस्पति शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र



वनस्पति शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र



प्राणी शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करती हुई छात्राएं



भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र



कम्प्यूटर लैब में कार्य करते हुए छात्र व छात्राएं



कम्प्यूटर लैब में कार्य करते हुए छात्र व छात्राएं



भूगोल प्रयोगशाला में अध्ययन करते हुए व प्रायोगिक कार्य करते हुए छात्र एवं छात्राएं



श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण

श्री भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट

(www.sbnitm.com) 8440059906, 9351227817

- ब्रांच :
1. कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग
 2. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
 3. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस
 4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 5. सिविल इंजीनियरिंग

श्री भवानी निकेतन पॉलिटेक्निक

(www.sbnpolytechnic.com) 8440059906, 9351227815

- पाठ्यक्रम :
1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 2. सिविल इंजीनियरिंग
 3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
 4. कम्प्यूटर साईंस
 5. मैकेनिकल ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग

श्री भवानी निकेतन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(www.sbniti.com) 7728029789

- पाठ्यक्रम :
1. इलेक्ट्रीशियन
 2. फीटर
 3. रीफ्रिजरेशन एण्ड एअर कंडीशनिंग
 4. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट

श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय

(www.sbnlawcollege.com) 0141-2230183, 9664210051

LL.M. (Two Year Course), B.A. LL.B. (Five Year Integrated Course)
LL.B. (Three Year Course), Post-Graduate Diploma Course in Legal and Forensic Science

श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी

9251009824

डी-फार्मेसी - दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

श्री भवानी निकेतन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(www.shribhawaniniketanmm.com) 0141-2233953, 9414446094

विषयसुविधा :

1. स्नातकोत्तर स्तर :
एम.ए.-1. भूगोल 2. अंग्रेजी 3. लोक प्रशासन 4. संस्कृत 5. राजनीति विज्ञान 6. मनोविज्ञान
एम.एससी.-1. रसायन शास्त्र (Chemistry) 2. प्राणी शास्त्र (Zoology)
एम.कॉम.- व्यवसायिक प्रशासन (Business Adm.)
2. स्नातक स्तर :
कला संकाय-वैकल्पिक विषय : 1. राजनीति विज्ञान 2. अंग्रेजी साहित्य 3. संस्कृत
4. अर्थशास्त्र 5. गृह विज्ञान 6. लोक प्रशासन 7. समाज शास्त्र 8. हिन्दी साहित्य
9. भूगोल 10. संगीत 11. इतिहास 12. शारीरिक शिक्षा 13. ओ.एम.एस.पी.
14. मनोविज्ञान
वाणिज्य संकाय - वैकल्पिक विषय : 1. लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (ABST)
2. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (EAFM) 3. व्यवसायिक प्रशासन (Bus. Adm.)
विज्ञान संकाय -1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र 5. गणित 6. भूगोल
विज्ञान संकाय -बी.एस.सी. होम साइंस
3. 4 Years Integrated Course : B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed.

श्री भवानी निकेतन महिला छात्रावास 8560937807

150 छात्राओं के रहने की उत्तम व्यवस्था, पूर्णतया सुरक्षित, स्वच्छ, अनुशासित पर्यावरण युक्त वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच लेथ-बॉथ, खुले हवादार कक्ष, उत्तम भोजन व्यवस्था। वार्षिक शुल्क राशि रु. 50,000/- (तीन किश्तों में)।

श्री भवानी निकेतन छात्र छात्रावास 0141-2233890

छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था, पूर्णतया सुरक्षित, स्वच्छ, अनुशासित पर्यावरण युक्त वातावरण सहित, खुले हवादार कक्ष, उत्तम भोजन व्यवस्था। वार्षिक शुल्क राशि रु. 50,000/- (तीन किश्तों में)।

विशेष : यह जयपुर शहर के एक विशाल परिसर में एकमात्र शिक्षण संस्थान है जो छात्र/छात्राओं के लिये नर्सरी से उच्च शिक्षा तक की सुविधा प्रदान कर रहा है। इन शिक्षण संस्थाओं की उन्नति आपके सहयोग से ही संभव है। इन शिक्षण संस्थाओं में अधिकतम छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिलाकर उन्नति में भागीदार बनें। आपके सहयोग की अभिलाषा के साथ।

श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(www.sbnboyscollege.com) 0141-2233863, 2975851

9414456160

विषयसुविधा :

1. स्नातकोत्तर स्तर: कला संकाय - 1. इतिहास 2. राज. विज्ञान 3. भूगोल
विज्ञान संकाय - 1. रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. भौतिक शास्त्र 5. गणित
वाणिज्य संकाय - 1. लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (ABST)
2. स्नातक स्तर : कला संकाय - वैकल्पिक विषय : 1. राजनीति विज्ञान 2. अंग्रेजी साहित्य 3. संस्कृत 4. अर्थशास्त्र 5. लोक प्रशासन 6. समाज शास्त्र 7. हिन्दी साहित्य 8. भूगोल 9. इतिहास 10. शारीरिक शिक्षा
वाणिज्य संकाय - वैकल्पिक विषय : 1. लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी (ABST)
2. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (EAFM) 3. व्यवसायिक प्रशासन (Bus. Adm.)
विज्ञान संकाय - (जीव विज्ञान एवं गणित) 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र 4. वनस्पति शास्त्र 5. गणित 6. भूगोल
प्रोफेशनल पाठ्यक्रम - बी.बी.ए एवं बी.सी.ए.

श्री भवानी निकेतन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय

(www.sbnittc.com) 0141-2235486, 9828595818

दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम

कला :- 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत 4. भूगोल 5. नागरिक शास्त्र
6. सामाजिक विज्ञान 7. अर्थशास्त्र 8. इतिहास

विज्ञान :- 1. सामान्य विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. जीव विज्ञान

वाणिज्य :- B.K & C.P.

दो वर्षीय बी.पी.एड. (शारीरिक शिक्षा) पाठ्यक्रम 8619998455

Shri Bhawani Niketan Senior Secondary School

(www.sbnsschool.com) 0141-2943956, 7976172102

SUBJECTS OFFERED (Co-Education, BSER English Medium)

Science Stream - Physics, Chemistry, Mathematics, Biology

Commerce Stream - Accountancy, Economics & Finance, Business Studies, Computer Science, Maths, Typing (Hindi & Eng.)

Agriculture Stream - Agriculture Biology/Chemistry, Agriculture

Humanities/Arts Stream - Economics, Political Science, Hindi Lit., Geography, History, Computer Science, Sanskrit Lit., Home Science

Shri Bhawani Niketan Girls Senior Secondary School

(www.sbn girls school.com) 0141-2236980, 9828071003

SUBJECTS OFFERED

(BSER English Medium)

Science Stream - Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Agriculture

Commerce Stream - Accountancy, Economics, Computer Science, Business Studies

Arts Stream - Hindi Literature, Economics, English Literature, History, Sanskrit, Music, Geography

Shri Bhawani Niketan Public School

(www.sbnpublicschool.com) 0141-2235804, 9828011836

(Co-Education, English Medium), Affiliated to CBSE, New Delhi
Nursery, LKG, UKG & First to 12th Science, Commerce, Humanities

Sainik School

(www.sbnpublicschool.com) 0141-2235804, 9828011836

Affiliated to Ministry of Defence, New Delhi

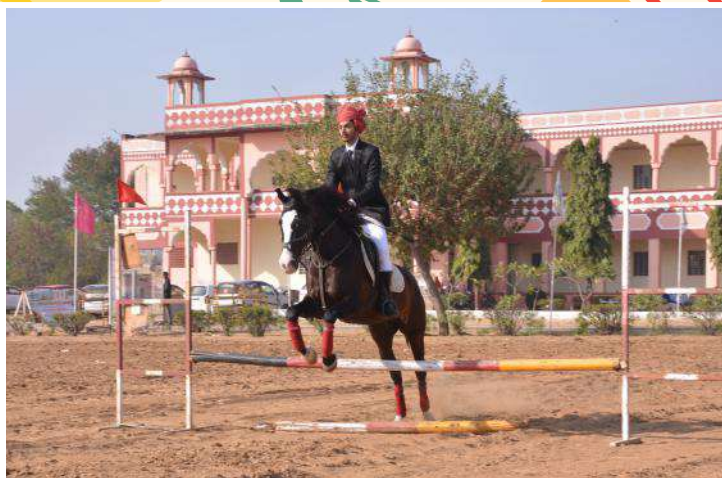
(A unit of Shri Bhawani Niketan Public School)

श्री भवानी निकेतन भैरों सिंह क्रिकेट अकादमी

(जयपुर जिला क्रिकेट एसोसियेशन से मान्यता प्राप्त) 0141-2233890

विशेषताएँ : दक्ष प्रशिक्षक, 6 सीमेंट के व 6 घास के विकेट एवं समस्त प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त क्रिकेट अकादमी।

प्रशिक्षण के लिये समस्त सुविधाओं से युक्त क्रिकेट स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध।



महाविद्यालय के खेल मैदान में घुड़सवारी करता छात्र



महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ, महाविद्यालय की व्यायाम शाला (GYM) में व्यायाम करते हुए



महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय में बास्केटबॉल खेलते हुए



महाविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय में वालीबॉल खेलते हुए



श्री भवानी निकेतन इण्डोर स्टेडियम



श्री भवानी निकेतन तरणताल (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर)



श्री भवानी निकेतन क्रिकेट स्टेडियम



श्री भवानी निकेतन छात्र छात्रावास



श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवन



श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एन.सी.सी. कैडेट्स गणतन्त्र दिवस की परेड के अवसर पर